

भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021

सहायक अभियंता (स.अ.) सिविल/ इलेक्ट्रिकल एवं
 सहायक प्रशासनिक अधिकारी (विशेषज्ञ) - 32 वां बैच

भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) योग्य भारतीय नागरिकों से सहायक अभियंता (AE), सिविल/इलेक्ट्रिकल और सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) स्पेशलिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करें। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. (अ) सहायक अभियंता के रिक्तियों की कुल संख्या: 81

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैं।

पद	अ° जा	अ°ज° जा	अ°पि° व	ई डब्ल्यू एस	अना°	कुल
स.अ. (सिविल)	8	3	13	5	21	50
स.अ. (इलेक्ट्रिकल)	4	3	8	3	13	31
कुल	12	6	21	8	34	81

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैं:

एलडी:2	एचआई:1	आईडी / एमडी: 1
वीआई श्रेणी के लिए कोई पद निर्धारित नहीं है		

(ब) सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्पेशलिस्ट) के रिक्तियों की कुल संख्या : 410

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैं।

पद	अ° जा	अ°ज° जा	अ°पि° व	ई डब्ल्यू एस	अना°	कुल
स.प्र.अ(चार्टर्ड अकाउंटेंट)	4	2	7	3	14	30
स.प्र.अ(कंपनी सेक्रेटरी)	1	1	2	1	5	10
स.प्र.अ(बीमांकक)	4	2	7	3	14	30
स.प्र.अ(बीमा विशेषज्ञ)	45	22	77	34	132	310
स.प्र.अ(लीगल)	4	2	7	3	14	30
कुल स.प्र.अ (स्पेशलिस्ट)	58	29	100	44	179	410

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्पेशलिस्ट) के 410 रिक्तियों में पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैं:				
वर्तमान रिक्तियां	एलडी: 5	वीआई:4	एचआई: 4	आईडी / एमडी: 4
वैकलाग रिक्तियां	एलडी: --	वीआई:--	एचआई: --	आईडी / एमडी: --
कुल	एलडी: 5	वीआई:4	एचआई:4	आईडी / एमडी:4

शब्द संक्षिप्तीकरण : अंजा: अनुसूचित जाति; अंजं जा: अनुसूचित जनजाति; अंपिंव: अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; अनां: अनारक्षित; पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क दिव्यांगजन; एलडी: चलन दिव्यांगता; वीआई: दृष्टिबाधिता; एचआई: श्रवणबाधिता; आईडी: बौद्धिक दिव्यांगता; एमडी: बहु दिव्यांगता।

रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षित रिक्तियां अनंतिम हैं और एलआईसी की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार इनमें अंतर हो सकता है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण, परिणाम के अंतिम रूप देने के समय लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या या वितरण के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं होगा।

नोट: उम्मीदवार को सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स.प्र.अ) जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 16.08.2025 को अधिसूचित पदों में से केवल एक पद के लिए आवेदन करना होगा। एक पद या अधिक पदों के लिए किए गए एक से अधिक आवेदनों के मामले में, अंतिम रूप से जमा किया गया वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा और अन्य एक से अधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा, उम्मीदवार का कोई उल्लेख किए बिना। इसके अलावा, साक्षात्कार/ज्वाइनिंग के समय उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक बार उपस्थित होने पर उम्मीदवारी को तुरंत अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा।

बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण:

" दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु चार प्रतिशत श्रैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। निम्नलिखित श्रेणियों के दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं:
क चलन दिव्यांगता/लोकोमोटर डिसाबिलिटी (एलडी):

- (i) स.प्र.अ (विशेषज्ञ): एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर , एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग बशर्ते कि स्वतंत्र गतिशीलता प्रभावित न हो ,ऐसे दिव्यांगजन आवेदन करने के पात्र हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम , 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार उपचारित कुछ रोग व्यक्ति ,मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशीय दुर्बलता और एसिड अटैक पीड़ित को चलन दिव्यांगता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा

- (ii) स.अ.(सिविल): एक हाथ, एक पैर, बशर्ते स्वतंत्र गतिशीलता प्रभावित न हो, कुछ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति, बौनापन और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट एसिड हमले के शिकार लोगों को लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाएगा।
- (iii) स.अ.(इलेक्ट्रिकल): एक पैर, बशर्ते स्वतंत्र गतिशीलता प्रभावित न हो, कुछ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट एसिड हमले के शिकार लोगों को लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाएगा।

ख दृष्टि बाधिता/विश्रुअल इंपेयरमेंट(वीआई):

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित दृष्टिबाधित उम्मीदवार, सहायक अभियंता (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के पद को छोड़कर, आवेदन करने के पात्र हैं।

ग श्रवण बाधिता/हेयरिंग इम्पेयरमेंट (एचआई):

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित अनुसार “बहरापन और कम सुनने वाले” दिव्यांगता वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

घ बौद्धिक बाधिता)/इंटेलेक्चुअल डिजाबिलिटी (आईडी):

- (i) स.प्र.अ(विशेषज्ञ): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- (ii) सहायक अभियंता (सिविल): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- (iii)सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार-एम वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।

ङ बहु बाधिता/मल्टिपल डिजाबिलिटी (एमडी):

- (i) स.प्र.अ(विशेषज्ञ): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित ए से डी तक उपर्युक्त विकलांगताओं में से एक से अधिक वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- (ii) सहायक अभियंता (सिविल): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित ए और सी से उपर्युक्त विकलांगताओं में से एक से अधिक वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- (iii) सहायक अभियंता(इलेक्ट्रिकल): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत परिभाषित ए और सी से उपर्युक्त विकलांगताओं में से एक से अधिक वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।

नोट: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र एलआईसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद प्रमाण पत्र अमान्य, जाली, छेड़छाड़ किया हुआ या निर्धारित परिभाषा के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो एलआईसी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने, नियुक्ति रद्द करने (यदि पहले ही हो चुकी है) और कानूनी कार्यवाही सहित आगे की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे।

2. परीक्षा की समय सारणी :

परीक्षा का अनुमानित कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:

कार्यकलाप	तिथियाँ
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क / इंटीमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	16.08.2025
ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क / इंटीमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि	08.09.2025
ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लैटर डाउनलोड करना	परीक्षा से 7 दिन पहले
ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां – प्रारंभिक परीक्षा (अनुमानित)	03.10.2025
ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां – मुख्य परीक्षा (अनुमानित)	08.11.2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरणों और नवीनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से अधिकृत एलआईसी वेबसाइट www.licindia.in > Careers नियमित रूप से देखते रहें। “एलआईसी किसी भी आपात स्थिति के मामले में कार्यक्रमों की अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।”

3. पात्रता शर्तें:

01.08.2025 को पात्रता शर्तें निम्नानुसार होंगी:

पद का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता
स.अ. (सिविल)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 30 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक/बी.ई. (सिविल)। उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता के उपरान्त सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे सहित बहुमंजिला भवन परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
स.अ. (इलेक्ट्रिकल)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 30 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 से पहले और	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक/बी.ई. (इलेक्ट्रिकल)। उम्मीदवार के पास योग्यता के उपरान्त सभी आवश्यक

	01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	बुनियादी ढाँचे सहित बहुमंजिला इमारत परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
स.प्र.अ(चार्टर्ड अकाउंटेंट)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 32 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1993 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा प्रस्तुत लेखों(आर्टिकल्स) को पूरा किया हुआ होना आवश्यक है। उम्मीदवार भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान का एसोसिएट सदस्य होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी सदस्यता संख्या प्रदान करनी होगी और उसका भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सत्यापन किया जाएगा
स.प्र.अ(कंपनी सेक्रेटरी)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 30 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री और कंपनी सचिव क्वालीफाईड उम्मीदवार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) का सदस्य होना चाहिए।
स.प्र.अ(बीमांकक)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 30 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और उम्मीदवारों को पात्रता की तिथि अर्थात 1 अगस्त, 2025 तक भारतीय एक्चुअरीज संस्थान/एक्चुअरीज संस्थान और संकाय, यूके द्वारा आयोजित परीक्षा के 6 या अधिक पेपर अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होने चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी सदस्यता संख्या प्रदान करनी होगी और इसे भारतीय एक्चुअरीज संस्थान/एक्चुअरीज संस्थान और संकाय, यूके के साथ सत्यापित किया जाएगा।
स.प्र.अ(बीमा विशेषज्ञ)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और जीवन बीमा में

	(जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति (भारतीय बीमा संस्थान (जीवन) की फेलोशिप) और जीवन बीमा कंपनियों (आईआरडीएआई द्वारा विनियमित) में काम करने का कुछ न्यूनतम अनुभव (5 वर्ष और अधिक) रखने वाले व्यक्ति।
स.प्र.अ(लीगल)	01.08.2025 को न्यूनतम आयु - 21 वर्ष, अधिकतम आयु- 32 वर्ष (जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1993 से पहले और 01.08.2004 के बाद में नहीं हुआ हो केवल वे ही पात्र होंगे, दोनों दिन शामिल हैं।)	किसी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि विषय में स्नातक की डिग्री तथा सभी सेमेस्टर /वर्षों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष प्राप्त हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर विधि विषय में स्नातक की डिग्री में सभी सेमेस्टर /वर्षों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम आवश्यक अंक 45% अंक होंगे। योग्यता के बाद का अनुभव (01 अगस्त, 2025 तक): आवश्यक: 1. एक वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकित। 2. बार काउंसिल में पंजीकरण के उपरान्त वकालत का 2 वर्ष का अनुभव या बार काउंसिल में पंजीकरण के उपरान्त विधि अधिकारी के रूप में किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/वैधानिक निगम/कंपनी/राज्य/केंद्र सरकार के कानूनी विभाग में कम से कम दो साल का अनुभव।

अनुसूचित जाति (अ°जा°) / अनुसूचित जनजाति (अ°ज°जा°) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अ°पि°व°) / भूतपूर्वसैनिक कमीशंड अधिकारी जिसमें आपातकालीन कमीशंड अधिकारी (ईसीओ) / शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी (एसएससीओ) शामिल हों / बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) / नियमित एलआईसी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होंगे:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
पीडब्ल्यूबीडी (सामान्य)	10 वर्ष

पीडब्ल्यूबीडी (अंजा°/ अंज°जा°)	15 वर्ष
पीडब्ल्यूबीडी (अंपि°व°)	13 वर्ष
*भूतपूर्वसैनिक/ईसीओ/एसएससीओ (सामान्य)	5 वर्ष
*भूतपूर्वसैनिक/ईसीओ/एसएससीओ (अंजा°/ अंज°जा°)	10 वर्ष
*भूतपूर्वसैनिक/ईसीओ/एसएससीओ (अंपि°व°)	8 वर्ष
नियमित एलआईसी कर्मचारी	आगे 5 वर्ष की छूट

नोट: भूतपूर्व सैनिक, कमीशंड अधिकारी जिसमे आपातकालीन कमीशंड अधिकारी (ईसीओ) / शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी (एसएससीओ) शामिल हैं , जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्षों तक सेवा दी और जिन्हें कार्यालय की समाप्ति पर मुक्त किया गया है (जिनमे वो भी शामिल है जिनका कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से 6 माह के अंदर पूर्ण होने वाला है) बशर्ते उनकी सेवामुक्ति अनुशासनहीनता, अक्षमता या सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न शारीरिक अक्षमता अथवा इनवेलिडमेंट के कारण नहीं हुई हों।

- आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को, यदि चयनित किया जाता है, तो साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार/ईमेल/फ़ोन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार है और वे उपरोक्त पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी भी समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से होनी चाहिए और परिणाम 01.08.2025 को या उससे पहले घोषित किया होना चाहिए। 01.08.2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित होने की पुष्टि हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि, जिस पर पात्रता की गणना की जाएगी, वह अंकतालिका/वैकल्पिक प्रमाण पत्र पर वर्णित होने वाली उत्तीर्ण होने की तिथि होगी।

4. पारिश्रमिक और लाभ:

नियमानुसार रु० 88635- 4385(14)-150025-4750(4)-169025 के वेतनमान में 88635/- रुपये प्रति माह का मूल वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्ते। शहर के वर्गीकरण के आधार पर, आवास किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि जहां भी स्वीकार हो, वेतनमान के न्यूनतम पैमाने पर कुल परिलब्धियां 'ए' श्रेणी के शहर में लगभग 1,26,000 / - रुपये प्रति माह होंगी। अन्य लाभों में परिभाषित अंशदायी पेंशन, इन्शुरेंस संस्थान एवं एक्चूरियल परीक्षा पास करने पर विशेष भत्ता, ग्रेच्युटी, एलटीसी, नकद चिकित्सा हितलाभ, ग्रुप मेडिकलेम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, समूह बीमा, वाहन

ऋण (दोपहिया/चारपहिया) नियमानुसार, मील कूपन, ब्रीफ केस/ लैडर बैग हेतु प्रतिपूर्ति, मोबाइल हैंडसेट, दैनिक और पत्रिकाओं की आपूर्ति और चाय/काँफी, मोबाइल खर्च, फर्नीचर प्रतिपूर्ति, मेड भत्ता आदि नियमानुसार शामिल हैं। इसमें किसी भी प्रावधान को ऐसे संशोधन की तारीख से आगे उम्मीदवार/कर्मचारी के पक्ष में कोई निहित अधिकार बनाने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

5. सेवा शर्तें:

समय-समय पर एलआईसी के नियमों के अनुसार सेवा शर्तें लागू होंगी। विज्ञापित पद नियमित हैं और चयनित उम्मीदवार निम्नानुसार नियुक्त होंगे।

(क) स.प्र.अ.(कंपनी सेक्रेटरी) को निगम के मुंबई स्थित कार्यालय में ही नियुक्त किया जाएगा।

(ख) स.प्र.अ.(चार्टर्ड अकाउंटेंट)(बीमांकक) को निगम के ज्यादातर मुंबई स्थित कार्यालयों में या 8 ज़ोनल कार्यालयों में से किसी में नियुक्त किया जाएगा।

(ग) स.प्र.अ (बीमा विशेषज्ञ) को कम से कम 5 वर्षों की प्रारम्भिक सेवा अवधि के लिए मोफुस्सिल शाखा में नियुक्त किया जाएगा।

(घ) स.प्र.अ (लीगल) को कम से कम 1 वर्षों की प्रारम्भिक सेवा अवधि के लिए देश की किसी भी शाखा में नियुक्त किया जाएगा और उसके उपरान्त लीगल सैल में पदस्थापित किया जाएगा।

किसी विशिष्ट स्थान/कार्यालय में आवंटन/पदस्थापन/स्थानान्तरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। निगम द्वारा किए गए आवंटन, पदस्थापन और स्थानान्तरण संबंधी निर्णय सेवा के अंतर्गत माने जाएंगे तथा इन्हें किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी, सिवाय इसके कि जहां ऐसी कार्रवाई एक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन योग्य हो।

6. परिवीक्षा:

नियुक्ति के बाद उम्मीदवार निगम में कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। इस अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को निगम की मौजूदा नीतियों के अनुसार निरंतर मूल्यांकन के अधीन रखा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं निगम की नीति के अनुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं। परिवीक्षा के संतोषजनक समापन के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी तथा समीक्षा के अधीन नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक हो।

7. गारंटी बॉन्ड:

परिवीक्षाधीन के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व, उम्मीदवारों को कार्यग्रहण करने की तिथि से (परिवीक्षा अवधि सहित) से न्यूनतम चार वर्षों की अवधि के लिए एलआईसी की सेवा करने का वचनपत्र देना होगा, जिसमें असफल होने पर, वह या उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, रुपये 5,00,000/- मात्र (पांच लाख रुपये मात्र हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उम्मीदवार को अपनी लागत पर, विधिवत मुहर लगी और नोटरीकृत,

क्षतिपूर्ति और जमानत का विलेख प्रस्तुत करना होगा, जिसका स्टाम्प मूल्य उस राज्य के लिए लागू स्टाम्प शुल्क के मूल्य के बराबर होगा जिसमें उम्मीदवार द्वारा विलेख निष्पादित किया गया है।

8. आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार/ ट्रेजैक्शन चार्जेस (नॉन रिफंडेबल):

उम्मीदवारों को निम्नानुसार आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान ऑन-लाइन प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा:

अ०जा०/अ०ज०जा०/पीडब्ल्यूवीडी उम्मीदवारों के लिए	सूचना प्रभार रु 85/- + ट्रेजैक्शन चार्जेस + जीएसटी
अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए	आवेदन शुल्क - सह- सूचना चार्जेस रु 700/- + ट्रेजैक्शन चार्जेस + जीएसटी

भुगतान की विधि पर विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया "आवेदन कैसे करें" का अवलोकन करें।

9. चयन प्रक्रिया:

सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का चयन तीन स्तरीय प्रक्रिया जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और साक्षात्कार शामिल हैं और उसके बाद भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा (चरण 1) में प्राप्त अंको को अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंको को ही साक्षात्कार हेतु चयन के लिए माना जाएगा।

प्रत्येक चरण में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। एलआईसी द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस विषय में कोई भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

केवल उन्ही अभ्यर्थियों के वर्णात्मक प्रश्नपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में सफलता प्राप्त की हो।

- प्रारम्भिक परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में अलग-अलग तथा कुल मिलाकर क्वालीफाई होना अनिवार्य है, और प्रत्येक श्रेणी के अनुसार रिक्तियों की संख्या के लगभग 20 गुना तक के अनुपात में एलआईसी द्वारा कट-आफ अंक तय किए जाएंगे।
- मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को दर्शाये गए अंको के अनुसार प्रत्येक खंड में अलग-अलग तथा कुल मिलाकर क्वालीफाई होना अनिवार्य है और प्रत्येक श्रेणी के अनुसार रिक्तियों की संख्या के लगभग 3 गुना तक के अनुपात में एलआईसी द्वारा कट-आफ अंक तय किए जाएंगे।
- साक्षात्कार में भी अभ्यर्थी को अंतिम मेरिट सूची में शामिल होने के लिए एलआईसी द्वारा निश्चित न्यूनतम क्वालीफाई अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अंग्रेजी का वर्णात्मक प्रश्नपत्र केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी, और इस परीक्षा में प्राप्त अंक रैंकिंग के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के लगभग 3 गुना होगी, जिसका

निर्धारण मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर तथा साथ ही अभ्यर्थियों की उनके अनुशंसित श्रेणी में रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।

(क) चरण 1 : स.प्र.अ(स्पेशलिस्ट)(चार्टर्ड अकाउंटेंट/ कंपनी सेक्रेटरी/ बीमांकक/बीमा विशेषज्ञ/अभियांत्रिक) की भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा)

प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और यह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा के तीन खंड (प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय के साथ) होंगे। स.प्र.अ (स्पेशलिस्ट) की परीक्षा में नेगेटिव अंकन प्रणाली लागू होगी (सही स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न में निर्धारित अंको का $\frac{1}{4}$ (एक-चौथाई) भाग दंडस्वरूप काटा जाएगा)। यदि कोई प्रश्न रिक्त छोड़ा जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड लागू नहीं होगा। प्रत्येक खंड में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक, प्रत्येक खंड के तथा कुल मिलकर प्राप्त किए जाने वाले कट-ऑफ अंक एलआईसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

भाग	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की पद्धति	न्यूनतम योग्यता अंक	अवधि
1	तार्किक क्षमता	35	35	अंग्रेजी और हिंदी	प्रत्येक खंड की कट-ऑफ एलआईसी द्वारा निर्धारित की जाएगी	20 मिनट
2	संख्यात्मक अभियोग्यता	35	35	अंग्रेजी और हिंदी		20 मिनट
3	अंग्रेजी भाषा प्रमुख रूप से व्याकरण, शब्दावली और गद्य बोध/समझ	30**	30	अंग्रेजी		20 मिनट
	कुल	100	70			60 मिनट

** अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को, उपलब्धता के आधार पर, मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

क) चरण :2 स.प्र.अ(स्पेशलिस्ट)(चार्टर्ड अकाउंटेंट/ कंपनी सेक्रेटरी/ बीमांकक/बीमा विशेषज्ञ/अभियांत्रिक) की भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा)

मुख्य परीक्षा में नेगेटिव अंकन प्रणाली लागू नहीं होगी। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा 150 अंक और वर्णनात्मक परीक्षा 150 अंको की होगी। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। परीक्षा एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी और कुल अवधि दो घंटे तीस मिनट की होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय होगा। वर्णनात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वर्णनात्मक परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पे टाइप करके उत्तर देना होगा। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए क्वालीफाई हेतु अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और कुल

मिलकर भी न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। प्रत्येक खंड में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक एलआईसी द्वारा दर्शाए गए हैं और प्रत्येक खंड के तथा कुल मिलकर प्राप्त किए जाने वाले कट-ऑफ अंक एलआईसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

भाग	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की पद्धति	न्यूनतम योग्यता अंक		अवधि
					अ°जा°/अ°ज°जा°/पीडब्ल्यूबीडी	अन्य	
1	तार्किक क्षमता	30	30	अंग्रेजी और हिंदी	13	15	20 मिनट
2	सामान्य ज्ञान (बीमा एवं वित्तीय बाजार पर विशेष ध्यान सहित)	20	20	अंग्रेजी और हिंदी	9	10	10 मिनट
3	प्रोफेशनल ज्ञान	50	100	अंग्रेजी और हिंदी	45	50	30 मिनट
	कुल	100	150				60 मिनट
4	प्रोफेशनल ज्ञान (वर्णनात्मक परीक्षा)	6 में से 4	50 #	अंग्रेजी और हिंदी	# कुल अंको का 45%	# कुल अंको का 50%	60 मिनट
5	अंग्रेजी भाषा वर्णनात्मक परीक्षा (संचार कौशल : ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण, संक्षिप्त लेखन)	2	25*	अंग्रेजी	9	10	30 मिनट

50 अंको को 150 में परिवर्तित किया जाएगा और प्रोफेशनल ज्ञान के वर्णनात्मक परीक्षा के न्यूनतम क्वालीफाइंग अंको को भी 150 में नार्मलाइज किया जाएगा

** अंग्रेजी भाषा आदि की वर्णनात्मक परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

"केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के वर्णनात्मक प्रश्नपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में सफलता प्राप्त की हो"

ख) चरण-1 : स.प्र.अ. (लीगल) की भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा:

प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और यह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा के तीन खंड (प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय के साथ) होंगे। स.प्र.अ (स्पेशलिस्ट) की परीक्षा में नेगेटिव अंकन प्रणाली लागू होगी (सही स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न में निर्धारित अंको का ¼ (एक-चौथाई) भाग दंडस्वरूप काटा जाएगा)। यदि कोई प्रश्न रिक्त छोड़ा जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड लागू नहीं होगा। प्रत्येक खंड में प्राप्त किए जाने वाले

न्यूनतम अंक, प्रत्येक खंड के तथा कुल मिलकर प्राप्त किए जाने वाले कट-आफ अंक एलआईसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

भाग	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की पद्धति	न्यूनतम योग्यता अंक		अवधि
1	तार्किक क्षमता	35	35	अंग्रेजी और हिंदी	प्रत्येक खंड की कट-ऑफ़ एलआईसी द्वारा निर्धारित की जाएगी		20 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा	35	35	अंग्रेजी			20 मिनट
3	सामान्य ज्ञान	30	30 **	अंग्रेजी और हिंदी			20 मिनट
	कुल	100	70				60 मिनट

** सामान्य ज्ञान की परीक्षा केवल क्वालीफ़ाइंग प्रकृति की होगी और सामान्य ज्ञान के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को, उपलब्धता के आधार पर, मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

ग) चरण-2 : स.प्र.अ. (लीगल) की भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा:

मुख्य परीक्षा में नेगेटिव अंकन प्रणाली लागू नहीं होगी। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा 150 अंक और वर्णनात्मक परीक्षा 150 अंको की होगी। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। परीक्षा एक ही सत्र में आयोजित की जाएगी और कुल अवधि दो घंटे तीस मिनट की होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग समय होगा। वर्णनात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वर्णनात्मक परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पे टाइप करके उत्तर देना होगा। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए क्वालीफाइ हेतु अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में प्रथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और कुल मिलकर भी न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। प्रत्येक खंड में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक एलआईसी द्वारा दर्शाए गए हैं और प्रत्येक खंड के तथा कुल मिलकर प्राप्त किए जाने वाले कट-आफ अंक एलआईसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

भाग	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की पद्धति	न्यूनतम योग्यता अंक		अवधि
					अंजा०/अंज०जा०/पीडब्ल्यूबीडी	अन्य	
1	तार्किक क्षमता	30	30	अंग्रेजी और हिंदी	13	15	20 मिनट
2	सामान्य ज्ञान (बीमा एवं वित्तीय बाजार पर विशेष ध्यान सहित)	20	20	अंग्रेजी और हिंदी	9	10	10 मिनट
3	प्रोफेशनल ज्ञान	50	100	अंग्रेजी और हिंदी	45	50	30 मिनट

	कुल	100	150				60 मिनट
4	प्रोफेशनल ज्ञान (वर्णनात्मक परीक्षा)	6 मे से 4	50 #	अंग्रेजी और हिंदी	# कुल अंको का 45%	# कुल अंको का 50%	60 मिनट
5	अंग्रेजी भाषा वर्णनात्मक परीक्षा (संचार कौशल : ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विक्षेपण, संक्षिप्त लेखन)	2	25*	अंग्रेजी	9	10	30 मिनट

50 अंको को 150 में परिवर्तित किया जाएगा और प्रोफेशनल ज्ञान के वर्णनात्मक परीक्षा के न्यूनतम क्वालीफाइंग अंको को भी 150 में नार्मलाइज किया जाएगा।

** अंग्रेजी भाषा आदि की वर्णनात्मक परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

"केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के वर्णनात्मक प्रश्नपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में सफलता प्राप्त की हो"

एलआईसी परीक्षा की पद्धति को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिसकी सूचना इसकी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना पत्रक में दी जाएगी जो उम्मीदवारों को एलआईसी वेबसाइट www.licindia.in के अंतर्गत "करियर्स" से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

उम्मीदवार का प्रत्येक अनुभाग को अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और ऑनलाइन परीक्षा (मुख्य) एवं साक्षात्कार के लिए योग्यता हेतु कुल मिलाकर एलआईसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम औसत अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे।

सही और गलत उत्तरों की समानता की पहचान का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों की प्रतिउत्तर का विश्लेषण किया जाएगा। यदि इस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और प्राप्त अंक सही/वैध नहीं हैं, तो एलआईसी के पास संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे उम्मीदवारों (अयोग्य घोषित) के परिणाम पर रोक लगा दी जाएगी। निगम को किसी भी स्तर पर, परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के उत्तरों—सही और गलत दोनों—का विस्तृत विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार होगा, ताकि नकल, मिलीभगत, अनुचित साधनों के प्रयोग या किसी अन्य कदाचार के संकेत देने वाले पैटर्न का पता लगाया जा सके। यदि ऐसी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं या अपनाई गई किसी अन्य जाँच पद्धति के आधार पर, निगम यह राय बनाता है—चाहे निर्णायक रूप से सिद्ध हो या नहीं—कि किसी अभ्यर्थी के अंक वास्तविक या वैध नहीं हैं, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में, अभ्यर्थी का परिणाम स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा, और निगम अपने विवेकानुसार, अभ्यर्थी को भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं से ऐसी अवधि के लिए, जितनी वह उचित समझे, वंचित भी कर सकता है।

इस संबंध में एलआईसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

विभिन्न सत्रों (यदि आयोजित किए गए हैं) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त स्कोर समान - प्रतिशत समानीकरण विधि का उपयोग करके सामान्यकृत किया जाएगा।

निम्नलिखित प्रक्रिया के उपयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का स्कोर निर्धारित किया जाता है :

(i) उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या के आधार पर स्कोर प्राप्त किया जाएगा ।

(ii) समान अंक निर्धारित करने के लिए विभिन्न भागों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, में छोटे अंतर को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर को समकक्ष बनाया जाता है'

* सभी प्रारूपों के स्कोर के वितरण पर विचार करते हुए किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा किसी भी परीक्षा में प्राप्त किए गए स्कोर को समकक्ष बनाया जाता है।

(iii) परीक्षा वार स्कोर और कुल स्कोर को दो अंकों तक दशमलव बिन्दु के साथ दर्ज किया जाता है।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने पर विचार किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों + साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर उम्मीदवार की अंतिम मैरिट सूची बनाई जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा के दिशानिर्देश (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 1) परीक्षा की संबंधित तिथि एवं भाग के लिए वैध कॉल लेटर जिस पर एक फोटोग्राफ चिपका हुआ हो
- 2) कॉल लेटर / आवेदन पत्र में दर्ज समान नाम वाला मूल फोटो पहचान पत्र (निर्दिष्ट किये गये अनुसार)
- 3) फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी (उपरोक्त (2) में वर्णित अनुसार)

देरी से आने वाले उम्मीदवार अर्थात् परीक्षा के लिए कॉल लेटर में दर्शाये गये उपस्थित होने के समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कॉल लेटर में दर्शाया गया समय परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व का है। यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा की अवधि एक घंटा है। विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन एवं संग्रह, लॉगिंग इन, दिशानिर्देश देने आदि को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सहित उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर लगभग तीन घंटे या उस से अधिक रहना पड़ सकता है।

यद्यपि मुख्य परीक्षा की अवधि दो घण्टा तीस मिनट है ,विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन एवं संग्रह बायोमेट्रिक डाटा संग्रह, लॉगिंग इन, दिशानिर्देश देने आदि को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सहित उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर लगभग चार घंटे या उससे अधिक रहना पड़ सकता है।

स्क्राइब का इस्तेमाल करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए दिशानिर्देश:

(i) दिव्यांग उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति किसी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, वो ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) के दौरान अपने खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब (लिखने वाला व्यक्ति) का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी मामलों में जिनमें स्क्राइब का इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

- उम्मीदवार को अपने खर्च पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- उम्मीदवार द्वारा लाया गया स्क्राइब समान परीक्षा में उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। अगर प्रक्रिया में किसी भी चरण पर उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए योग्य उम्मीदवार और जो परीक्षा में स्क्राइब की सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हमेशा ध्यानपूर्वक इसे सूचित करना चाहिए। बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।
- एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब का काम करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब नहीं बन सकता है।
- स्क्राइब एलआईसी ऑफ इंडिया का वर्तमान / पूर्व-कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- स.प्र.अ (सीए/सीएस/बीमांकक/इंजीनियरिंग/बीमा विशेषज्ञ/लीगल) के लिए स्क्राइब अपने उम्मीदवार से अलग शैक्षणिक स्ट्रीम से होना चाहिए। स्क्राइब की योग्यता अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
- उम्मीदवार और स्क्राइब को एक उपयुक्त अंडरटेकिंग देनी होगी, जो यह पुष्टि करे कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित एक स्क्राइब के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने कोई पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा के नतीजों पर विचार किए बिना आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- जो उम्मीदवार स्क्राइब का उपयोग करते हैं, वो परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट या अन्यथा सलाह के अनुसार के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।
- प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को ही ऐसी छूट की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण ना कराने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे छूट की अनुमति देना संभव नहीं होगा।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया।
- उपरोक्त के अलावा, एलआईसी के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में स्क्राइब की पहचान, योग्यता और पृष्ठभूमि का सत्यापन करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा। यदि विवरण में कोई विसंगति, गलत बयानी, या मिथ्याकरण पाया जाता है - चाहे जानबूझकर या अन्यथा - उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। एलआईसी उम्मीदवार या स्क्राइब के खिलाफ लागत और क्षति की वसूली सहित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ii) चलन दिव्यांगता और मस्तिस्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश:

चलन दिव्यांगता और मस्तिस्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) वाले उम्मीदवारों को प्रतिपूरक 20 मिनट प्रति घंटा का समय या अन्यथा सुविचारित की अनुमति दी जाएगी जहां प्रमुख (लेखन) का अग्रंग कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता हो (न्यूनतम 40 प्रतिशत हानि)।

(iii) दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश:

दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जिनमें 40 प्रतिशत से कम की दिव्यांगता नहीं है) परीक्षा की सामग्री को बड़े फोन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी उम्मीदवार परीक्षा के प्रति घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय या अन्यथा सुविचारित के लिए पात्र होंगे।

(iv) परीक्षा की सामग्री को बड़े फ्रॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगी जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेते हैं।

(v) बौद्धिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

40 प्रतिशत से अधिक बौद्धिक दिव्यांगता या बहु दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब की सेवा लेने या ना लेने की स्थिति में परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

(vi) निर्दिष्ट विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:

दिव्यांगजनित विकलांगता वाले अभ्यर्थियों (जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है) पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त, निम्नलिखित नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले, विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति:

स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई हो, बशर्ते कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई हो रही है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है, जैसा कि अपेंडिक्स-I में दिए गए प्रोफार्मा में किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को अपेंडिक्स -II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों / स्पष्टीकरणों में किसी भी परिवर्तन के अधीन हैं। स्क्राइब का उपयोग करते हुए उम्मीदवारों द्वारा घोषणा पत्र संलग्नक-2 के अनुसार है।

चरण III: साक्षात्कार

केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध करने हेतु विचार किया जाएगा

i. अधिकतम साक्षात्कार अंक 60 और ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित, ओबीसी के लिए क्वालीफाइंग अंक 30 हैं। एससी/एसटी बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए अर्हता अंक 27 हैं। जो उम्मीदवार एलआईसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में एलआईसी का निर्णय अन्तिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन होने वाली रिक्तियों की संख्या से लगभग तीन गुना होगी और यह उनकी संबंधित श्रेणी में उनकी रैंकिंग के अनुसार होगी।

iii. ऐसे उम्मीदवारों के समूह का योग्यता क्रम मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में अंतिम रैंकिंग निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

क) उनकी अतिरिक्त स्नातकोत्तर योग्यता के अनुसार (अर्थात् उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा) और इसके अतिरिक्त

ख) शैक्षणिक योग्यता में समानता होने की स्थिति में, योग्यता क्रम आयु के आधार पर तय किया जाएगा (अर्थात् आयु में वरिष्ठ को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा)। **एलआईसी समान अंक वाले सभी उम्मीदवारों को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह केवल अधिसूचित रिक्ति के अनुसार उम्मीदवारों को लेगा।**

iv. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहरी उम्मीदवार अपने निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक छोटे से छोटे मार्ग पर दूसरी श्रेणी सामान्य के आने-जाने के रेलवे / बस के किराये की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। जिसे आरक्षण शुल्क सहित रेलवे दूसरी श्रेणी स्लीपर के किराये तक सीमित रखा जाएगा।

v. मुख्य सूची में सफल घोषित न किए गए उम्मीदवारों के लिए कोई संभावित / प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी यदि दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हों।

भर्ती पूर्व चिकित्सकीय परीक्षा:

अंतिम मेरिट सूची में चयन किए गए उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व चिकित्सकीय परीक्षा से गुजरना होगा और चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने पर ही उन्हें नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण :

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के एक सप्ताह के भीतर अपना नाम एवं अन्य विवरण एलआईसी के अपने सुविधाजनक मंडल कार्यालय में प्रबंधक (कार्मिक) के साथ पंजीकृत करा सकते हैं। मंडल कार्यालय पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की तिथि और समय के बारे में सूचित करेगा। ऐसे उम्मीदवारों को नियत तिथियों पर और उन्हें सलाह दी गई जगह पर अपने खर्चे पर प्रशिक्षण लेना होगा। उम्मीदवारों को एलआईसी के मंडल कार्यालयों के पते देखने के लिए वेबसाइट पर "करियर" का अवलोकन करें।

10. कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई

I. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि उन्हें कोई भी गलत सूचना नहीं देनी चाहिए और दस्तावेजों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी ऐसे कृत्य का

पता चलने पर, तत्काल अयोग्यता, उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द और रोजगार के सभी दावे रद्द कर दिए जाएँगे। एलआईसी कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखेगी (कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना), जिसमें गलत तरीके से प्राप्त किसी भी लागत, क्षति या लाभ की वसूली शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है। इस संबंध में एलआईसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

II. परीक्षा / साक्षात्कार आयोजित किए जाने वाले परिसर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पेजर, कैलकुलेटर या इस तरह की किसी भी डिवाइस का उपयोग प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ मोबाइल सहित इस तरह की कोई भी निषिद्ध सामग्री परीक्षा केंद्र में लेकर न आएँ क्योंकि इसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

III. भर्ती के किसी भी चरण में अगर कोई उम्मीदवार निम्न मामलों में दोषी पाया जाता है-

- (क) परीक्षा या साक्षात्कार के समय कोई अनुचित साधनों का उपयोग करना
- (ख) किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे का वेश धारण करके परीक्षा देना
- (ग) परीक्षा केंद्र / साक्षात्कार केंद्र पर दुर्व्यवहार करना
- (घ) चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी गलत साधन (अनियमितता) का उपयोग करना
- (ङ) अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी तरह से समर्थन प्राप्त करना, इसके अलावा अगर किसी तरह के आपराधिक मामले के लिए जिम्मेदार है, तो उसे:

- i) परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- ii) एलआईसी के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए कोई विशेष अवधि या फिर हमेशा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- iii) अगर ऐसा कोई कदाचार वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान सामने नहीं आ सका और इसकी जानकारी बाद में हुई, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

11. बायोमैट्रिक डाटा- प्राप्त करना और सत्यापन

(क) निम्नलिखित चरणों में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक डेटा (दाएं अंगूठे का निशान/आइरिस स्कैन या अन्य) और उनकी तस्वीर लेने और उसे सत्यापित करने का निर्णय लिया गया है :

- i) मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले और मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद हॉल / लैब छोड़ने से पहले
 - ii) साक्षात्कार से पहले दस्तावेज के सत्यापन के समय, यदि चयन होता है
 - iii) प्रशिक्षण / कार्यग्रहण के लिए आने के समय
 - iv) एलआईसी किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक डेटा को कैप्चर कर सत्यापित करने का अधि/ सुरक्षित रखती है।
- (ख) उम्मीदवारों के लिए बायोमैट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का (मैच होना या नहीं होना) के संबंध में निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में जिन उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक मैच नहीं होंगे, उन्हें भर्ती के अगले चरण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) उपरोक्त अवसरों पर बायोमैट्रिक कैप्चरिंग / सत्यापन में शामिल होने से इनकार करने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

- (घ) यदि उंगलियों पर किसी तरह का लेप (स्याही / मेहदी / रंग आदि) लगा है, तो उसे पूरी तरह से धो लें ताकि परीक्षा / साक्षात्कार / ज्वाइन करने की तिथि से पहले लेप पूरी तरह से खत्म हो जाए।
- (ङ) अगर उंगलियां गंदी हैं तो फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) देने के समय उन्हें अच्छी तरह से साफ कर सूखा लें।
- (च) यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह से सूखी हों। अगर उनमें नमी है, तो हर उंगली को अच्छी तरह से पोछ कर सूखा लें।
- (छ) अगर कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक उंगली (दाहिना अंगूठा) चोटिल / क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत जांच केंद्र के संबंधित प्राधिकरण को सूचित करें। ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि की छाप को लिया जा सकता है।
- (ज) कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित अवसरों के अलावा, एलआईसी अन्य चरणों में भी उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने / सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- (झ) **आईआरआईएस (IRIS) स्कैन:** परीक्षा स्थल पर फोटोग्राफ और आईआरआईएस (IRIS) कैप्चर किया जाएगा। खींचे गए फोटो का मिलान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अपलोड किए गए फोटो से किया जाएगा। आपके द्वारा अपलोड की गई तस्वीर से आपका वर्तमान स्वरूप समान होना चाहिए। इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में आईआरआईएस (IRIS) डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। किसी भी अवसर पर आईआरआईएस (IRIS) स्कैनिंग/सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उसी के संबंध में, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:
- (i) सभी उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा की शुरुआत में 'बाएं आंख (आईआरआईएस)' (IRIS) कैप्चर किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के अंत में हॉल/प्रयोगशाला छोड़ने से पहले इसका सत्यापन किया जाएगा।
 - (ii) उम्मीदवारों को आईआरआईएस (IRIS) कैप्चर करते समय कांटेक्ट लेंस और चश्मा हटा देना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कांटेक्ट लेंस पहनने से बचें और चश्मा का प्रयोग करें।
 - (iii) आईआरआईएस (IRIS) स्कैनिंग में किसी भी प्रकार के स्पर्श (टच) का प्रयोग नहीं होगा। स्कैनर और आंख के बीच आधा फीट की दूरी रखी जाए।
 - (iv) दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए पहचान पद्धति बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन डेटा कैप्चर होगी जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।
- (उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी में भी विफल होने पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।)

नोट: नीति के अनुसार, परीक्षा के दौरान केवल अभ्यर्थियों के अलावा किसी और को प्रश्नपत्र/परीक्षापत्र नहीं बताए जाते हैं। परीक्षा के बाद भी, प्रश्नपत्र किसी के साथ साझा नहीं किए जाते।

कृपया ध्यान दें कि एक पद के लिए एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति है। ऑनलाइन परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक कॉल लेटर प्राप्त हुए हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कॉल लेटर पर उल्लिखित तिथि और समय पर एक पद के लिए केवल एक बार ही उपस्थित हों।

12. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार 16.08.2025 से 08.09.2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित चीजें तैयार रखनी चाहिए:

- i) अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान एवं हस्ताक्षरित घोषणा स्कैन करें और यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं।
- ii) वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं. होना चाहिए जो कि इस भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक कार्यरत होना चाहिए। एलआईसी परीक्षा आदि के लिए कॉल लैटर पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजेगी। यदि किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी ई-मेल आईडी बनानी होगी और मोबाइल नं. देना होगा तथा ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं. अवश्य चालू रहना चाहिए।

पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें

- i) उम्मीदवार स्कैन करें
 - फोटोग्राफ (4.5 सेमी, 3.5 सेमी.)
 - हस्ताक्षर (काली स्याही के साथ)
 - बाएं अंगूठे का निशान (सफेद पेपर पर काली या नीली स्याही के साथ)
 - यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज इस विज्ञापन के आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं एक हस्तलिखित घोषणा (सफेद पेपर पर काली या नीली स्याही के साथ) (घोषणा में जो लिखना है नीचे दिया गया है)
- ii) कैपिटल लैटर्स में किए गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- iii) बाएं अंगूठे के निशान को अच्छी तरह स्कैन किया जाना चाहिए और स्कैन में धब्बा नहीं होना चाहिए। (अगर उम्मीदवार का बायां अंगूठा नहीं है तो वो आवेदन के लिए अपने दायां अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं।)
- iv) हस्तलिखित घोषणा में क्या लिखना है ये निम्नलिखित है-
मैं..... (उम्मीदवार का नाम). यह घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई सभी सूचनाएं सही, सत्य और वैध हैं। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगी / करूंगा।"
- v) ऊपर उल्लिखित हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की लिखावट और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। अगर यह किसी और के द्वारा लिखी और अपलोड की जाती है या किसी अन्य भाषा में लिखी जाती है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में जो लिख नहीं सकते वो घोषणा को टाइप करा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।)
- vi) आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज तैयार रखें।

आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क/ ट्रेजकेशन चार्जेस (वापसी योग्य नहीं) का ऑनलाइन भुगतान 16.08.2025 से 08.09.2025 तक।

आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए लागू जीएसटी एवं बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को वहन करना होगा।

आवेदन पंजीकरण

1. 01.08.2025 को पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर जाएं और "Recruitment of AAO (Generalist/Specialist/Assistant Engineers) 2025" की भर्ती लिंक खोलने के लिए 'करियर' पर क्लिक करें। यह लिंक उम्मीदवारों को सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा।

2. आवेदन के लिए पंजीकरण करने के लिए "क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन" टैब को चुनें और अपना नाम संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी डालें। अब सिस्टम एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करेगा और स्क्रीन पर दिखाएगा। उम्मीदवारों को ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख लेना चाहिए। ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजे जाएंगे।
3. अगर उम्मीदवार एक बार में ही आवेदन फॉर्म पूरा नहीं कर पाता है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब पर क्लिक करके भरी गई जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब की सुविधा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में डाली गई जानकारी की जांच कर सकें और जरूरत होने पर सुधार कर सकें। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बहुत सावधानी से आवेदन फॉर्म भरना चाहिए और आखिर में जमा करने से पहले जांच करनी/ जांच करा लेनी चाहिए कि दी गई जानकारियां सही हैं।
4. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में खुद सावधानीपूर्वक जानकारी भरने और जांच करने की सलाह दी जाती है क्योंकि एक बार "कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन" क्लिक करने के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा / बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदन में उम्मीदवार के नाम या उनके पिता/पति आदि के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए जैसी कि वो प्रमाण पत्र / अंक सूची / पहचान पत्र में दी गई हो। कोई भी बदलाव / फेरबदल पाए जाने पर उम्मीदवारी अयोग्य हो सकती है।
6. अपनी जानकारियों की पुष्टि करें और 'वैलिडेट योर डिटेल्स' और 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सेव करें।
7. उम्मीदवार विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. उम्मीदवार आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. 'फाइनल सबमिट' से पहले पूरे आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए 'प्रीव्यू टैब' पर क्लिक करें।
10. यदि आवश्यक हो, तो जानकारियों को संशोधित करें और आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य जानकारियां सही हैं, यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद 'फाइनल सबमिट' पर क्लिक करें।
11. 'पेमेंट' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
13. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्नक-1 में दी गई है।

शुल्क का भुगतान: ऑनलाइन मोड

1. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया को निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है।
2. डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना मिलने की प्रतीक्षा करें। दोहरे भुगतान से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।
4. ट्रैजैक्शन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद मिलेगी।

5. 'ई-रसीद' का न मिलना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान विफल होने पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
6. उम्मीदवारों को शुल्क विवरण सहित ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन ट्रैजैक्शन सफल न रहा हो।
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपके बैंक द्वारा प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना ट्रैजैक्शन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
9. शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा है।
10. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदनों को सही ढंग से भरने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यदि आवेदक द्वारा आवेदन में कोई गलती की जाती है तो इसे सुधारने के बाद आवेदन शुल्क को वापिस करने के किसी भी दावे को एलआईसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
11. अंतिम समय में व्यस्तता को देखते हुए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण करें और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क (जहां भी लागू हो) का समय पर भुगतान करें।
12. एलआईसी उपरोक्त कारणों से या एलआईसी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज :

- फोटोग्राफ हाल में ली गई पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीर हो।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर रंगीन हो, हल्के रंग की विशेषतः सफेद रंग के बैकग्राउण्ड पर ली गयी हो।
- बिना कोई हाव-भाव के कैमरे में सीधा देखते हुए फोटो खिंचवायें।
- अगर धूप में तस्वीर हो, तो सूरज आपके पीछे हो, या खुद को छांव में रखें, ताकि आपकी आंखें बंद न हो या बहुत ज्यादा छाया न आए।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो 'नो रेड आई' का ध्यान रखें।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न दिखे और आपकी आंखें और कान स्पष्ट रूप से देखे जा सकें।
- टोपी, हैट और काला चश्मा मान्य नहीं है। सिर ढकने के धार्मिक प्रतीक स्वीकृत हैं लेकिन ध्यान रखें यह आपके चेहरे को कवर नहीं करना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (वरियतः)
- फाइल का साइज 20 केबी -50 केबी के बीच होना चाहिए

- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज़ 50केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का साइज़ 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स में बदलाव करे जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि। यदि फोटो परीक्षा के लिए एडमिशन के स्थान पर अपलोड नहीं होती है तो वो अस्वीकार/रद्द हो जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड हुए हों। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक तरह से अपलोड नहीं किए जाते हैं तो परीक्षा के लिए प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामले में फीस वापस नहीं की जाएगी।
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया जाने वाला फोटो आवश्यक साइज़ में हो और चेहरा साफ दिखना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और फीस वापस नहीं की जाएगी।

फोटोग्राफ़ कैप्चर:

- उपरोक्त फोटोग्राफ़ के अलावा, उम्मीदवारों को वेबकैम या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अपनी लाइव फोटोग्राफ़ भी कैप्चर और अपलोड करनी होगी।
- "फोटो कैप्चर करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवारों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।
- "स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवार अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जो उन्हें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफ़ क्लिक कर सकेंगे। ली गई तस्वीर चुनने पर, फोटोग्राफ़ आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगा।

फोटो कैप्चर के लिए क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- सुनिश्चित करें कि फोटो हल्के रंग की, अधिमानतः सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो और पर्याप्त रोशनी हो।
- वेबकैम/कैमरे की ओर सीधे देखें।
- फोटो पासपोर्ट आकार की होनी चाहिए।

क्या न करें:

- छोटे आकार की फोटोग्राफ़ क्लिक/अपलोड न करें।
- रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए।
- चेहरे पर छाया/कैमरे की ओर न होना/विकृत चेहरा/मास्क से ढका चेहरा/धुंधली छवि।
- तस्वीर अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में नहीं ली गई हो।

हस्ताक्षर , बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की इमेज :

- आवेदक को सफ़ेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने हैं।
- आवेदक को सफ़ेद पेपर पर काली या नीली स्याही से बाएं अंगूठे का निशान लगाना है।
- आवेदक को सफ़ेद पेपर पर काली स्याही या नीली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट घोषणा लिखनी है।

- हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक के ही होनी चाहिए, किसी और के नहीं।
- कॉल लेटर पर और जहाँ भी जरूरी हो, हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाएगा।
- अगर आवेदक के अंटेडेंस शीट या कॉल लेटर पर परीक्षा के समय किए गए हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
- हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा कैपिटल लैटर्स में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हस्ताक्षर :

- .jpg फॉर्मेट में हस्ताक्षर की इमेज
- परिमाण **140 x 60** पिक्सेल (वरीयतः)
- फ़ाइल का साइज़ **10केबी-20केबी** के बीच होना चाहिए
- स्कैन इमेज का साइज़ **20केबी** से अधिक नहीं होना चाहिए

बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान :

- आवेदक को सफेद पेपर पर काली या नीली स्याही से अपने बाएँ अंगूठे का निशान लगाना है।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए किसी और की नहीं।
 - फ़ाइल का प्रकार: .jpg / .jpeg
 - आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सेल (विशेषतः आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * लंबाई)
 - फ़ाइल साइज़: 20 केबी - 50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- हस्तलिखित घोषणा अपेक्षा के अनुरूप होनी चाहिए।
- हस्तलिखित घोषणा कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखी होनी चाहिए।
- आवेदक को सफेद पेपर पर काली या नीली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा लिखनी है।
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए किसी और की नहीं।
- हस्तलिखित घोषणा
 - फ़ाइल का प्रकार: .jpg / .jpeg
 - आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (विशेषतः आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * लंबाई)
 - फ़ाइल साइज़: 50 केबी - 100 केबी

नोट: यदि फोटोग्राफ में चेहरा, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट नहीं है, तो आवेदक की उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा पुनः अपलोड कर सकते हैं।

दस्तावेजों को स्कैन करना:

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को ट्रू कलर पर सेट करें।
- स्कैनर में इमेज को बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम साइज़ (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में काटने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।
- इमेज फ़ाइल jpg या jpeg फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर फ़ाइल का नाम है: image01.jpg या image01.jpeg
- फ़ोल्डर में फ़ाइलों को सूचीबद्ध करें या फ़ाइल के इमेज आइकन पर माऊस ले जाकर इमेज का आयाम देखा जा सकता है।
- एमएस विंडोज़ / एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से जेपीईजी फॉर्मेट में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में सेव किए गए दस्तावेज़ फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज' विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं। क्रॉप और फिर रिसाइज़ का उपयोग कर साइज़ में बदलाव किया जा सकता है।
- यदि फ़ाइल का साइज़ और फॉर्मेट निर्धारित माप के अनुसार नहीं है, तो एक एरर संदेश आ जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को उसकी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी घोषणा अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा

दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को बाएं अंगूठे के निशान और हाथ से लिखी घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक "अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन / हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन" पर क्लिक करें।
- ब्राउज़ करें और जिस लोकेशन पर बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की फ़ाइल सेव हों, वहाँ से सिलैक्ट करें।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे सिलैक्ट करें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आप अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को अपलोड नहीं करते।
- यदि फ़ाइल का साइज़ और फॉर्मेट निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक एरर मैसेज आ जाएगा।
- इमेज की गुणवत्ता देखने के लिए अपलोड की गई इमेज के प्रीव्यू से मदद मिलेगी। इमेज अस्पष्ट/दागदार हो तो उसे अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के साथ फिर से अपलोड कर सकते हैं।

नोट:

- (1) बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट / दागदार होने पर उम्मीदवार का आवेदन खारिज हो सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन में बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांच लेना चाहिए कि इमेज साफ हैं और ठीक से अपलोड की गई हैं। यदि बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उम्मीदवार फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने आवेदन को एडिट कर सकते हैं और बाएँ अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकते हैं।

- (3) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सिस्टम से जनरेट हुए उनके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रिंटआउट को अपने पास रखे।

13. ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लैटर जारी करना :

उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा से 7 दिन पहले कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर "करियर" शीर्षक के तहत जाना होगा। कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करके कॉल लैटर डाउनलोड करने की विंडो पर पहुँच सकता है। उम्मीदवार को कॉल लैटर डाउनलोड करने के लिए (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीदवार कॉल लैटर पर हाल ही में खिंची गई पहचान योग्य फोटो चिपकाएँ, विशेषतः वही जो पंजीकरण के समय दी गयी हो और परीक्षा केंद्र में जैसा की कॉल लैटर अपेक्षित है (i) कॉल लैटर (ii) फोटो पहचान पत्र, जैसा कि कॉल लैटर में अपेक्षित और मूल फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो।

14. ऑनलाइन परीक्षा के लिए पहचान सत्यापन।

उम्मीदवार को कॉल लैटर पर हाल ही में खिंची गई पहचान योग्य फोटोग्राफ चिपकाना और परीक्षा केंद्र पर कॉल लैटर व फोटो पहचान पत्र की मूल कॉपी के साथ उपस्थित होना आवश्यक है।

परीक्षा हॉल में, कॉल लैटर के साथ उम्मीदवार की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / आधिकारिक लैटरहेड पर / राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण / किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध वर्तमान पहचान पत्र/फोटो युक्त आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान पत्र/फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान को कॉल लैटर पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों में उसके विवरण के साथ सत्यापित की जाएगी। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इस प्रक्रिया के लिए ई-आधार कार्ड और राशन कार्ड वैध पहचान प्रमाण नहीं हैं।

नोट: परीक्षा में उपस्थिति के दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा कॉल लैटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की मूल कॉपी व फोटोकॉपी लेकर आनी होगी। इसके बिना उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लैटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) पर दिखाई देने वाला नाम फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के बाद अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है, उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फोटो पहचान प्रमाण में ठीक वही नाम होना चाहिए जो कॉल लैटर पर दिखाई देता है। पहचान में किसी भी तरह के अंतर जैसे नाम, फोटो और हस्ताक्षर मेल न खाने की स्थिति में उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / मूल विवाह प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

देर से आने वाले उम्मीदवार अर्थात् परीक्षा के लिए कॉल लैटर में दिए गए समय के बाद आने पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लैटर पर दिया गया रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने से पहले का समय है जिसमें सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करने, बायोमेट्रिक डेटा लेने, लॉग इन करने, दिशा निर्देश देने जैसे विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाला समय शामिल है।

15. महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

- i) आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सभी पात्रता शर्तों, विशेष रूप से आयु, योग्यता, ईडब्ल्यूएस श्रेणी, जाति (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए) को पूरा करना आवश्यक है। यदि उम्मीदवार किसी भी आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो भर्ती के किसी भी चरण में बिना किसी संदर्भ के उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई फीस/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवार की पात्रता, चयन और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले में एलआईसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में एलआईसी द्वारा किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पृच्छताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ii) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवारों को ए4 आकार के कागज पर आवेदन का एक सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे अपने पास रखना चाहिए। कृपया इस प्रिंट आउट को भारतीय जीवन बीमा निगम को **न भेजें**। ऑनलाइन आवेदन को प्रिंट करने का विकल्प केवल दिनांक 23 .09.2025 तक ही उपलब्ध होगा।
- iii) जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उन्हें ऑन-लाइन आवेदन का विधिवत हस्ताक्षरित सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, शुल्क की रसीद जमा करनी होगी जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है और साक्षात्कार के समय सभी प्रांसगिक प्रमाणपत्रों की मूल और स्वप्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां जमा करनी होंगी और ऐसा करने में विफल होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
- iv) कोई भी सूचना नहीं दे पाने की वजह से उम्मीदवारी वापस लेने से भविष्य में भर्ती के लिए उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने या बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बाद की चयन प्रक्रियाओं में ऐसे उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एलआईसी बाध्य नहीं होगी, और भुगतान की गई कोई भी फीस या शुल्क जब्त कर ली जाएगी।
- v) एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही यह शुल्क भविष्य की परीक्षा/चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- vi) अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के संबंध में जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकरण से निर्धारित प्रारूप में अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए: -

क	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो।
ख	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
ग	राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
घ	उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।
ङ	जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति जाति के उम्मीदवारों का संबंध है तो केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य है न की तहसीलदार द्वारा।

ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए, उम्मीदवारों को ऐसी जाति या समुदाय से संबंधित होना चाहिए जो केंद्रीय और राज्य सरकारों की सूची में उनके मूल के राज्य से संबंधित हो (केंद्र सरकार

- द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार)। आरक्षण का लाभ "क्रीमी लेयर" से संबंधित व्यक्तियों / वर्गों पर लागू नहीं होगा, जैसा कि दिनांक 8.9.93 (एससीटी) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt की अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट है। ओबीसी उम्मीदवारों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह शामिल होना चाहिए कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। (निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जमा न करने पर आवेदन अमान्य हो सकता है।)
- vii) ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उन्हीं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' ओबीसी उम्मीदवारों से संबंधित हैं। "क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी "अनारक्षित (अना०)" या "अनारक्षित (एलडी/VI/HI/आदि)" के रूप में दर्शानी चाहिए, जैसा भी लागू हो।
- viii) "ओबीसी श्रेणी" के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को एलआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार 01 अप्रैल, 2025 को / उसके बाद जारी ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर आवेदन अमान्य हो सकता है।) उम्मीदवार के पास साक्षात्कार की तिथि को / या उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- ix) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ एलआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य हो, जो मौजूदा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय पर आधारित हो। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर आरक्षण प्राप्त करने के अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- x) यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को एलआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के फॉर्मेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- xii) प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची / अधिसूचना के साथ अक्षरशः मिलाया जाएगा।
- xiii) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे प्राप्त करने में विफल होने पर उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के समय उन्हें अपने नियोक्ता से प्राप्त डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xiv) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य एलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान ऐसी किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को, चाहे वह चालू हो या बंद, अपने पास रखना परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप तत्काल अयोग्यता, उम्मीदवारी रद्द और एलआईसी की भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं से निष्कासन हो सकता है। ऐसे उपकरण पाए जाने पर, एलआईसी की कोई देयता नहीं होगी और उन्हें ज़ब्त किया जा सकता है।
- xv) दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवार की आयु/योग्यता/श्रेणी के सत्यापन के बिना ऑन-लाइन परीक्षा में प्रवेश केवल तात्कालिक है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो झूठा, छेड़छाड़, मनगढ़ंत हो और/या किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाता हो।
- xvi) पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दी गई विस्तृत जानकारी को बदलने के किसी भी अनुरोध पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
- xvii) कॉल लेटर डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को निर्देशित वेबसाइट से कॉल लेटर

डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी।

- xviii) संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। **परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तारीख/सत्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- xix) एलआईसी, अपने विवेकानुसार, प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- xx) एलआईसी उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए किसी भी केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।
- xxi) उम्मीदवार अपने स्वयं के जोखिम और खर्चों पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एलआईसी किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीदवार केवल एक केंद्र का चयन करे और आवेदन पत्र में केंद्र के नाम का संकेत दे। उम्मीदवार ने अगर एक बार किसी केंद्र का चयन कर लिया तो यह उसका अंतिम फैसला होगा।
- xxii) यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो एलआईसी उन उम्मीदवारों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है या यदि किसी केंद्र के लिए उम्मीदवारों की संख्या ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, एलआईसी उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- xxiii) परीक्षा की तिथि / केंद्र / परीक्षा स्थल में किसी भी बदलाव के मामले में उम्मीदवारों को तदनुसार ई-मेल और एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
- xxiv) परीक्षा के संचालन में कुछ समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है जो परीक्षण वितरण और/या परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उम्मीदवारों की आवाजाही, परीक्षा में देरी जैसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पुनः परीक्षा का आयोजन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर है। उम्मीदवारों के पास पुनः परीक्षण के लिए कोई दावा नहीं होगा। अगर कोई अभ्यर्थी जांच परिणाम की देरी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- xxv) उम्मीदवार को किसी भी कारण से अपनी गिरफ्तारी या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति या व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दोषी ठहराए जाने या किसी भी पिछले नियुक्ता द्वारा संरक्षात्मक पहचान या किसी दंड के अधीन होने के कारण किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाना या दबाना नहीं चाहिए। ऐसे कारणों से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से अयोग्य होने पर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- xxvi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अगर उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का पता चलता है, तो उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी एलआईसी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाता है लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। नियुक्ति से पहले या बाद में, ऐसी किसी भी जानकारी को छिपाने, दबाने या गलत बयानी करने पर, उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से तत्काल अयोग्य घोषित किया जा सकता है, बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द की जा सकती है, और दिए गए किसी भी लाभ या परिलब्धियों की वसूली की जा सकती है। एलआईसी ऐसे मामलों में उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।
- xxvii) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति एलआईसी की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के अधीन है। ऐसी नियुक्तियां एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) विनियम, 1960 के अधीन होंगी।

- xxviii) चुने गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार कॉल लेटर के संबंध में सूचना ऑनलाइन आवेदन के समय उम्मीदवार द्वारा दिए गए ईमेल पते पर भेजी जाएगी। बाद में अलग पते पर पत्र भेजने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xxix) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि कृपया समय-समय पर वेबसाइट देखें और भर्ती प्रक्रिया के समापन तक भर्ती से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए अपने ई-मेल अकाउंट की जांच करें।
- xxx) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित की जाती है, तो सभी सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न टेस्ट बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता होती है।
- xxxi) एलआईसी बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- xxxii) इस विज्ञापन के अंग्रेजी के अलावा किए गए अन्य किसी भी संस्करण में विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- xxxiii) इस विज्ञापन से उत्पन्न दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही और /या अनुक्रिया में आवेदन केवल मुंबई में ही दिया जा सकता है और किसी भी विवाद की सुनवाई का एकमात्र एवं विशेष क्षेत्राधिकार केवल मुंबई में अदालतों/न्यायाधिकरणों/मंचों के पास होगा।
- xxxiv) किसी भी प्रकार से सिफ़ारिश करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- नोट :** इस भर्ती प्रक्रिया से संबन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत, अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात ही उपलब्ध होगी।

स्थान : मुंबई

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)

दिनांक: 16.08.2025

विस्तृत विवरणों और संलग्नकों के लिए www.licindia.in>careers देखें।